खंड ५ संख्या ११

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १--कार्यवाही--प्रश्नोत्तर)

शुक्रवार, तिथि ७ जून, १९६८

सत्यमेव जयते

श्री एस० एन० चटर्जी, अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
द्वारा सचिवालय शाखा मुद्रणालय बिहार पटना में मुद्रित
१९६९

[मूल्य --३७ पैसे]

श्री नवल किशोर सिंह--जाल नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने अधिकार दिया है कि एक सप्ताह तक १० हजार क्विंटल रख सकता है। मान लीजिए कि कोई विक्रेता रविवार को रखे गये खाद्यान्न में से ९ (नौ) हजार क्वींटल बिक्री दिखा दे और फिर सोमवार को ६ हजार क्वींटल खरीदगी दिखा कर १० हजार क्वींटल ज्यों का त्यों रख लें तो वैसी हालत में सरकार क्या कर सकेगी ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—स्टॉक की चेकिंग तो हम करेंगे ही। यदि उसमे अनियमितताएं पाई जायेंगी तो सजा मिलेगी।

श्री नवल किशोर सिंह—क्या यह व्यावहारिक है कि प्रत्येक विक्रेता के स्टॉक की जांच सरकार करा सकेगी ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह--चेक तो होता ही है।

ठाकुर मुनीश्वर प्रसाद सिंह--क्या यह बात सही है कि इस तरह का नियम इसलिए बना है कि यह सरकार पूंजीपतियों को मदद करना चाहती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चावल मिल या हालर वालों से उगाही।

८२। श्री राधा मोहन राय--क्या मंत्री, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि आवश्यक खाद्यान्न अधिप्रस्ताव अधिनियम के अन्तर्गत चावल मिल मालिकों, जिसमें एक हालर वाले भी शामिल हैं, उनसे उनके द्वारा उत्पादित चावल पर पच्चीस प्रतिशत उगाही लेना है;

(२) क्या यह बात सही है कि वैसे मिल मालिक जिनके यहां न तो बायलर है और न अपने खाते में धान खरीदकर चावल कूटते हैं, उनसे लेवी लिया जाता है;

(३) क्या यह बात सही है कि ऐसे मिलों में वैसे ही लोग धान कुटवाते हैं जो साधारण तबके के किसान या मजदूर हैं;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आदेशों में संशोधन करने के संबंध में क्या कारंवाई करना चाहती है जिससे साधारण ग्रामीण परेशान नहीं हों ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—(१) बिहार अत्यावश्यक खाद्यान्न अधिप्राप्ति आदेश, १९६७ के अन्तर्गत चावल मिल मालिकों से, जिनमें एक हालर वाले भी शामिल हैं, उनके द्वारा उत्पादित कुल चावल के स्टोक का २५ प्रतिशत उगाही में लेना है।

(२) प्रायः सभी मिलें अपने खाते में कुछ-न-कुछ धान खरीद कर चावल कूटता हैं। उक्त आदेश के अन्तर्गत सभी कार को चावल मिलों से अधिप्राप्ति की जा रही हैं।

(३) उत्तर नकारात्मक हैं। ऐसी मिलों से बड़े-बड़े किसान एवं थोक व्यापारी भी, बिक्री के लिए, धान से चावल कुटवाते हैं।

(४) सभी चावल मिलों द्वारा निजी खाते में या किसानों या अन्य ग्रामीणों के खाते में कूटे गये चावल के स्टॉक पर मिल मालिकों को ही अधिप्राप्ति का भार वहन करना हैं। सरकार द्वारा यह सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हालत में मिल-मालिकों द्वारा अधिप्राप्ति का बोझ किसी भी अंश में उनकी मिलों में चावल कुटवाने वाले किसानों या अन्य ग्रामीणों पर नहीं टाला जाय। अतः इस उद्देश्य से उक्त आदेश में संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं।

श्री राधामोहन राय—प्रश्न के खंड (२) के उत्तर में कहा गया हैं कि प्राय: सभी मिलें अपने खाते में कुछ न कुछ धान खरीद कर चावल कूटता हैं। उक्त आदेश के अन्तर्गत सभी प्रकार को चावल मिलों से अधिप्राप्ति की जा रही है तो में सरकार से जानना चाहता हूं कि किस आधार पर यह उत्तर सरकार दे रही हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—सत्य के आधार पर और अनुभव के आधार पर।

श्री राधामोहन राय—में सरकार से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री का तथ्य और सत्य क्या हैं। इस सम्बन्ध में कोई नियम हैं या नहीं। माननीय मंत्री ने जो उत्तर में कहा उससे पता चलता हैं कि कुछ लोग छूट भी जाते हैं इसलिए मे जानना चाहता हूं कि कौन छूटते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—जहांतक कानून का प्रश्न हैं, हर मिल मालिक को चाहे एक हालर का हो या पांच हालर का, उन्हें लेवी में कुछ देना ही हैं। लेवी से छूटने के लिए ये कुछ लोग बहाना कर देते हैं कि किसानों और मजदूरों का मेंने धान कूटा हैं इसलिए लेवी न ली जाय, लेकिन कानून के मुताबिक २५ प्रतिशत लेवी लगना निश्चित हैं।

श्री राधामोहन राय—क्या यह बात सही हैं कि वैसे गरीब लोगों से भी लेवी मिल मालिक वसूल करते हैं जिनसे लेवी नहीं लेना हैं ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—इसकी जानकारी सरकार को नहीं हैं।

श्री राधामोहन राय—में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आठ आने या एक रुपये मन की दर से मिल मालिक धान कूटते हैं और यदि १०० मन धान वह कूटता मन धान वह लेवी में कहां से दे सकेगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—वह तो मिल मालिक जान सकते हैं।

श्री राधामोहन राय—मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि कोई भी मिल मालिक जो व्यापार करता है वह सैकड़े २५ मन धान कहां से दे सकता है ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह--वह तो मिल मालिक जानें, कि देना कहां से है।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव--मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि बड़े किसानों से सरकार अलग लेवी लेती है।

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—इस साल लेवी नहीं ली गयी है।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव--सरकार कहती है कि इस साल लेवी नहीं ली गयी है, लेकिन सरकार किसानों के घर पर जाकर लेवी लेती है, व्यापारी जो चावल बेचने जाते हैं वहां भी लेवी लेती है ....

अध्यक्ष—प्रश्न के उत्तर से मतलब है सूचना लेना, नीति का परिवर्त्तन करना नहीं है।

श्री परमेश्वर कुमर—क्या सरकार को यह बात मालूम है कि गरीबों से लेवी ली जाती है, यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई नियम है कि गरीबों से लेवी नहीं ली जाये ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—सरकार गरीबों से लेवी नहीं लेती है।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव—अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि इस साल लेवी नहीं ली गयी है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की निश्चित जानकारी है कि इस साल लेवी नहीं ली गयी है क्योंकि मैंने लेवी दी है।

अध्यक्ष--पीछे चलकर हटा दिया गया।

श्री शंकर प्रताप देव--क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि कोई जान-बूझकर लेवी देना चाहे तो उसे सरकार लेगी या नहीं ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह--सरकार लेगी।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव--प्रश्न के खंड (३) के उत्तर में सरकार ने जवाब दिया है कि उत्तर नकारात्मक है और यह भी कहा है कि ऐसे मिलों में बड़े-बड़े किसान एवं थोक व्यापारी भी बिक्री के लिये धान से चावल कुटवाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सरकार को मालूम है कि एक हालर वाले में केवल छोटे-छोटे किसान ही धान कुटवाते हैं ?

अध्यक्ष—यह प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं है।

श्री हुकुमदेव नारायण यादव--अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही मुर्गी दो जगह जबह नहीं होती है ....

अध्यक्ष—आप सूचना चाहते हैं या इसकी नीति पर बहस चाहते हैं? अगर नीति पर बहस चाहते हैं तो इसके लिये आधा घंटा के समय के लिये मुझसे मांग कीजिये, मंजूर होने पर आधा घंटा का समय मुकर्रर किया जा सकता है।

अनाज पर प्रतिबंध।

८३। श्री बद्रिका नाथ झा--क्या मंत्री, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(१) क्या यह बात सही है कि बिहार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनाज ले जाने के लिए प्रतिबंध है;

(२) क्या यह बात सही है कि बिहार से बंगाल तक चना तथा दलहन निर्यात में छूट है पर मकई और गेहूं के लिए इन चीजों को बिहार में ले जाने में प्रतिबंध है;

(३) अगर उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी द्वैत नीति अनाज विक्रय प्रतिबंध से किसी क्षेत्र को मुनाफा तो किसी क्षेत्र को घाटे का शिकार बनाती ह ;

(४) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार इस प्रकार की नीति में संशोधन के लिए क्या सोच रही है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह--(१) सिर्फ राज्य के सीमावर्त्ती २० मील के क्षेत्रों में रेल या मोटर ट्रक द्वारा राज्य के अन्य क्षेत्रों से तथा राज्य के भीतर सभी क्षेत्रों में एक जगह से दूसरी जगह नदी द्वारा चावल, धान, गेहूं और इनके उत्पाद और मकई के परमिट प्राप्त किए बगैर भेजने पर प्रतिबंध है। राज्य के अन्य क्षेत्रों में रेल या मोटर ट्रक द्वारा खाद्यान्नों के यातायात पर प्रतिबन्ध नहीं है।